पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 ई0 (आश्विन 23, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–42

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	393–398	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	343–344	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	37–41	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व अनुभाग 2

विज्ञप्ति

26 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 1001/XVIII(II)/11–12(1)/10–चूंकि शासनादेश संख्या–49(2)/94–81–94/रा0–14, दिनांक 02 जून, 1995 के द्वारा पूर्ववर्ती राज्य द्वारा जनपद नैनीताल के कतिपय ग्रामों को उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) के अधीन सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अधीन रखा गया था;

और, चूंकि, जनपद नैनीताल के ग्राम रतनपुर बेलपड़ाव में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है;

अतः, अब, राज्यपाल, उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ग्राम रतनपुर बेलपड़ाव, परगना भावर कोटा, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल की सर्वेक्षण और अभिलेख संक्रिया इस विज्ञप्ति के जारी करने की तारीख से बन्द करने की घोषणा करते हैं।

आज्ञा से,

पी0 सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 1001/XVIII(II)/11-12(1)/10,** dated September 26, 2011 for general information.

NOTIFICATION

September 26, 2011

No. 1001/XVIII(II)/11-12(1)/10--Due to some villages of District Nainital were under Survey and Record Operation by predecessor state in Exercise of the power of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 3 of 1901) *vide* Notification No. 49 (2)/94-81-94/Rajaswa-14, dated June 2, 1995;

And, due to Survey and Record Operation has been completed in the village Ratanpur Belparao of District Nainital;

Therefore, now, in exercise of the power of under section 25, of the U.P. Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act No. 3 of 1901) (as applicable to Uttarakhand State), the Governor is pleased to declare that survey and Record Operation of the Village Ratanpur Belparao, Pargana Bhawarkota, Tehsil Kala dhungi, District Nainital to be closed from the date of issue of this notification.

By Order,

P. C. SHARMA,
Principal Secretary.

न्याय अनुभाग 1

अधिसूचना

नियुक्ति

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 12 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री राकेश खण्डूरी, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और

नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री राकेश खण्डूरी का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 12 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information:

NOTIFICATION

Appointment

September 27, 2011

No. 12 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Rakesh Khanduri, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for Tehsil Roorkee, District Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Rakesh Khanduri be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 13 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्रीमती परविन्दर कौर, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील रुड़की के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती परविन्दर कौर का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

September 27, 2011

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 13 No-B/xxxvi(1)/2011-02-No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information.

No. 13 No-B/xxxvi(1)/2011-02-No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Smt. Parvinder Kaur, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for Tehsil Roorkee, District Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Smt. Parvinder Kaur be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 14 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री मेहन्दी हसन, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला हरिद्वार की तहसील लक्सर के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री मेहन्दी हसन का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 14 No-B/xxxvi(1)/2011-02-No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information :

September 27, 2011

No. 14 No-B/xxxvi(1)/2011-02-No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Mehandi Hasan, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for Tehsil Laksar, District Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Mehandi Hasan be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 15 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, सुश्री निशा शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि सुश्री निशा शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 15 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information :

September 27, 2011

No. 15 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Ms. Nisha Sharma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for District Headquarter Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Ms. Nisha Sharma be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 16 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री अनिल कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 16 No-B/xxxvi(1)/2011-02-No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information:

September 27, 2011

No. 16 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Anil Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for District Headquarter Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Anil Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 17 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री शिवकुमार शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री शिवकुमार शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 17 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information:

September 27, 2011

No. 17 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Shivkumar Sharma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for Tehsil Laksar, District Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Shivkumar Sharma be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 18 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री मुकेश कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 18 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information:

September 27, 2011

No. 18 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Mukesh Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for District Headquar Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Mukesh Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 19 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री संजय कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज

रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री संजय कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 19 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information.

September 27, 2011

No. 19 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for District Headquarter Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Sanjay Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

27 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 20 नो0–बी0/xxxvi(1)/2011–02 नो0–बी0/2009–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके महामहिम राज्यपाल, श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता को दिनांक 26–09–2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय हरिद्वार के लिये नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम 8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री सुरेश चन्द्र अग्रवाल का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 20 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009,** dated September 27, 2011 for general information:

September 27, 2011

No. 20 No-B/xxxvi(1)/2011-02 No-B/2009--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No. 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Shri Suresh Chander Aggarwal, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 26-09-2011 for District Headquarter Hardwar and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Shri Suresh Chander Aggarwal be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary-cum-L.R.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/474–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 ई0 (आश्विन 23, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त खाद्य सुरक्षा,
उत्तराखण्ड

अधिसूचना

दिनांक 14 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 862 / XXVIII–3–2011–100(टी0सी0) / 2009–राज्यपाल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (केन्द्रीय अधिनियम सं0–34, वर्ष 2006) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर को तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अधिनियम के अधीन खाद्य विश्लेषकों द्वारा खाद्य नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए परीक्षण और अंशशोधन विश्लेषणशाला के रूप में अधिसूचित करते हैं।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
खाद्य सुरक्षा आयुक्त / सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 862/XXVIII-3-2011-100(T.C.)/ 2009,** dated September 14, 2011 for general information:

NOTIFICATION

September 14, 2011

No. 862/XXVIII-3-2011-100(T.C.)/2009--In exercise of the powers conferred by the sub section (1) of section 43 of the Food Safety and Standard Act, 2006 (Central Act No. 34 of 2006), the Governor in pleased to notify the State Food and Drug Laboratory, Rudrapur, District-Udhamsingh Nagar as Testing and Calibration Laboratory for the purposes of carrying out analysis of samples by the Food Analyst under said Act with immediate effect.

By Order,

MANISHA PANWAR,
Food Safety Commissioner/Secretary.

कार्यालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त/सचिव, उत्तराखण्ड

अधिसूचना

दिनांक 23 सितम्बर, 2011 ई0

संख्या 04/XXVIII–3–2011–100(टी0सी0)/2009–राज्यपाल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिसूचना संख्या–1/XXVIII–3–2011–100(टी0सी0)/2009, दिनांक 12–08–2011 में आंशिक संशोधन कर निम्नलिखित अभिहित अधिकारियों (Designated Officers) **को तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36 की उपधारा (3) व खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.2 के उपनियम (2) में वर्णित शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने हेतु अभिहित अधिकारियों** (Designated Officers) **अधिसूचित करते हैं :–**

क्र0सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री गणेश चन्द्र कण्डवाल	अभिहित अधिकारी
2.	श्री बीरेन्द्र सिंह बिष्ट	अभिहित अधिकारी
3.	श्री अनोज कुमार थपलियाल	अभिहित अधिकारी
4.	श्री मनीष सिंह	अभिहित अधिकारी
5.	श्री महिमानन्द जोशी	अभिहित अधिकारी
6.	श्री राजेन्द्र सिंह कठायत	अभिहित अधिकारी
7.	श्री अशोक कुमार फुलेरिया	अभिहित अधिकारी
8.	श्री प्रमोद सिंह रावत	अभिहित अधिकारी
9.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	अभिहित अधिकारी
10.	श्री अजब सिंह रावत	अभिहित अधिकारी
11.	श्रीमती अर्चना सागर	अभिहित अधिकारी
12.	श्री राजेन्द्र सिंह पाल	अभिहित अधिकारी

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
खाद्य सुरक्षा आयुक्त/सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/474–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 अक्टूबर, 2011 ई0 (आश्विन 23, 1933 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांक Memo/23/गजट/11–12

15–09–2011 ई0

प्रचलित नियमावली

1. मुख्य सड़क मेन चौराहे, गो0ब0पंत एवं पार्क रोड की दुकानों की साझेदारी शुल्क एक लाख रु0।

2. डाक खाना रोड एवं सब्जी मण्डी रोड, नगर पालिका के ऊपर की दुकानों की साझेदारी शुल्क 80000 रु0।

3. पंत पार्क एवं नगर के विभिन्न स्थानों/गलियों में पालिकाओं की दुकानों की साझेदारी शुल्क 50000 रु0 तथा किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि।

नगर पालिका परिषद्, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 त्र (ग) के अधीन नगर पालिका की दुकान सम्पत्ति व उसके नियंत्रण की दुकानों तथा व्यापारिक स्थानों को क्षति पहुंचाने या हस्तक्षेप से संरक्षण के लिये एक उपविधि बनायी है जिसकी पुष्टि नगर पालिका परिषद्, काशीपुर के प्रस्ताव सं0–205, दिनांक 27–07–2011 द्वारा कर दी गयी है।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 301 (2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है :–

संशोधित नियमावली

1–नाम व विस्तार :–

(क) यह उपविधि ''नगर पालिका परिषद्,'' काशीपुर की सीमान्तर्गत पालिका दुकान व्यापारिक स्थान विनियमन हेतु उपविधि'' कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2–परिभाषा :–

किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर–

(क) अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, काशीपुर के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, काशीपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''कर अधीक्षक'' से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, काशीपुर के ''कर अधीक्षक'' व उसकी अनुपस्थित में उसके प्रभार देख रहे अधिकारी से है।

(घ) ''प्राधिकार समिति'' से तात्पर्य निम्न अधिकारियों की समिति से है :–

(1) अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी अध्यक्ष

(2) अधिशासी अधिकारी सचिव

(3) कर अधीक्षक सदस्य

(4) सम्बन्धित वार्ड का निर्वाचित नगर पालिका सदस्य जिसमें स्थित दुकान/व्यापारिक स्थान के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना हो ..... सदस्य

परन्तु नगर पालिका बोर्ड प्रभाव में न होने की स्थित में उक्त समिति में कोई नगर पालिका सदस्य सम्मिलित नहीं होगा।

(ङ) ''पालिका की दुकान'' का तात्पर्य निम्न से है :–

क–नगर पालिका परिषद्, काशीपुर द्वारा आवंटित या किराये पर दी गयी दुकान या व्यापारिक स्थान, अथवा

ख–नगर पालिका परिषद्, काशीपुर में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 116 के अन्तर्गत निहित भूमि व सम्पत्ति पर स्थित दुकान या व्यापारिक स्थान।

(च) ''किराएदार'' का तात्पर्य निम्न से है :–

क–नगर पालिका परिषद्, काशीपुर द्वारा आवंटित या किराये पर दी गयी दुकान या व्यापारिक स्थान के सम्बन्ध में पालिका अभिलेखों में किरायेदार के रूप में दर्ज नवीनतम व्यक्ति या विधिक व्यक्ति;

ख–नगर पालिका परिषद्, काशीपुर में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 116 के अन्तर्गत निहित भूमि व सम्पत्ति पर स्थित दुकान या व्यापारिक स्थान के संबंध में पालिका अभिलेखों में दर्ज नवीनतम व्यक्ति या वास्तविक प्रभारी।

(छ) ''किराएदारी हस्तान्तरण'' का तात्पर्य पालिका की दुकान के किसी किरायेदार द्वारा निम्न में से कोई एक या अधिक कार्य करने से है :–

क–किसी अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी को पालिका की दुकान के कब्जे का हस्तान्तरण करना;

ख–किसी अन्य व्यक्ति को पालिका की दुकान में किये जाने वाले कारोबार में साझेदार बनाना;

ग–पालिका की दुकान में किये जा रहे कारोबार का संगठन परिवर्तित करना (एकल, स्वामित्व, साझेदारी, कम्पनी, एच0यू0एफ0 आदि में से किसी दूसरे में परिवर्तन)।

3—कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की दुकान को कोई क्षति नहीं पहुंचायेगा और न ही कोई अनाधिकृत हस्तक्षेप या न्यूसेस करेगा।

4—कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की दुकान की किराएदारी हस्तान्तरण इस उपविधि के अन्तर्गत ली गयी अनुमति के बिना नहीं करेगा।

5—कोई भी पालिका की दुकान या किरायेदार उससे सम्बन्धित दुकान से लगी पालिका भूमि व सार्वजनिक सड़क पर न तो स्वयं अतिक्रमण करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को कोई अतिक्रमण करने देगा।

6—कोई भी पालिका की दुकान का किरायेदार नगर पालिका की दुकान में व इससे लगी भूमि मार्ग या सार्वजनिक सड़क पर कोई ऐसा कार्य न तो करेगा और न ही करने देगा जिससे किसी अन्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की आशंका हो।

7—कोई भी पालिका की दुकान का किरायेदार नगर पालिका की दुकान या इसके किसी भाग या इससे लगी भूमि या सार्वजनिक सड़क को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर नहीं देगा और न ही कोई कारोबार करने देगा।

8—कोई भी पालिका की दुकान का किरायेदार पालिका की दुकान में ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा जो पालिका एवं शासन के नियमों के विरुद्ध हो। इसके अतिरिक्त कोयला भट्टी या शराब इत्यादि व्यवसाय के प्रयोग में दुकान का उपयोग नहीं करेगा।

9—कोई भी व्यक्ति या किरायेदार पालिका की दुकान में कोई परिवर्तन या मरम्मत इस उपविधि के अन्तर्गत पालिका की अनुमति प्राप्त किये बगैर तथा प्राधिकार समिति द्वारा आरोपित नियम, शर्तों का पालन किये बगैर नहीं करेगा।

10—किरायेदार पालिका को देय किराये का प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक भुगतान करेगा। विलम्ब की दशा में विलम्ब शुल्क सहित भुगतान करेगा। विलम्ब शुल्क किराये की धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर जो रु0 50 से कम नहीं होगा, प्रतिमाह की दर से देय होगा। किरायेदार किसी भी स्थिति में छः माह से अधिक किराया बकाया नहीं रखेगा।

11—पालिका की दुकान में मरम्मत या परिवर्तन कराने का इच्छुक किरायेदार इसकी अनुमति हेतु आवेदन निर्धारित फार्म पर अधिशासी अधिकारी को देगा। फार्म व आवेदन प्रोसिसिंग शुल्क रु0 1000 (रु0 एक हजार मात्र) का भुगतान फार्म लेते समय ही करना होगा। इस आवेदन के प्राप्त होने के अधिकतम पन्द्रह दिन के भीतर सम्बन्धित विभागीय आख्या सहित प्राधिकार समिति के समक्ष निर्णय हेतु अधिशासी अधिकारी रखवायेंगे। प्राधिकार समिति मरम्मत व परिवर्तन के फलस्वरूप दुकान का मूल्य बढ़ने को ध्यान में रखते हुये मरम्मत/परिवर्तन के उपरान्त देय किराये की

धनराशि का निर्धारण करते हुये किरायेदार के खर्च व विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी अन्य औपचारिकतायें पूरी कराने की जिम्मेदारी किरायेदारी की होने व अन्य शर्तें जो प्राधिकार समिति जनहित व पालिका हित में आवश्यक समझे, लगाते हुये आवश्यक समझने पर अनुमति देगी। किराये के निर्धारण के लिये उपविधि के उपनियम 12 में उल्लेखित मापदंड ही अपनाये जायेंगे।

12—पालिका की अपनी दुकान अन्य किसी व्यक्ति को अंतरित करने का इच्छुक दुकान का किरायेदार इसकी अनुमति हेतु आवेदन निर्धारित फार्म पर अधिशासी अधिकारी को देगा। फार्म व आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क रु0 5000 (रु0 पांच हजार मात्र) का भुगतान फार्म लेते समय ही करना होगा। इस आवेदन के प्राप्त होने के अधिकतम तीस दिन के भीतर संबंधित विभागीय आख्या सहित प्राधिकार समिति के समक्ष निर्णय हेतु अधिशासी अधिकारी रखवायेगा। प्राधिकार समिति किरायेदारी हस्तान्तरण हेतु धनराशि तथा नये किरायेदार द्वारा देय किराये की धनराशि निम्न मापदण्डों का पालन करते हुये निर्धारित करेगी तथा किरायेदारी हस्तान्तरण करने की अनुमति देगी। यह अनुमति केवल एक बार के हस्तान्तरण के लिये होगी तथा अधिकतम तीन माह की अवधि के लिये वैध होगी :—

क—हस्तान्तरण शुल्क उस क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की नवीनतम दुकान के प्रीमियम तथा इस उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम हस्तान्तरण शुल्क से अधिक नहीं होगा तथा निम्न धनराशि से कम नहीं होगा :—

(1) मुख्य सड़क पार्क रोड व गोविन्द बल्लभ पंत स्कूल से लगी, मेन चौराहे पर स्थित दुकानों के संबंध में—रु0 तीन लाख मात्र (प्रति सौ वर्ग फिट);

(2) डाक खाना रोड, नयी सब्जी मंडी रोड, यू मार्केट, एन0डी0टी0 शहीद भगत सिंह मार्केट स्थित दुकानों के संबंध में— रु0 दो लाख मात्र (प्रति सौ वर्ग फिट);

(3) न्यू मैदान वाली गली, मेन चौराहे पर प्रथम तल स्थित, पंत मार्किट स्थित प्रथम तल दुकानों के संबंध में—रु0 डेढ़ लाख मात्र (प्रति सौ वर्ग फिट);

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य स्थानों व मौहल्लों में स्थित दुकानों के संबंध में—रु0 एक लाख मात्र (प्रति सौ वर्ग फिट)।

ख—हस्तान्तरण के उपरान्त किराये की धनराशि उस क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की नवीनतम दुकानों के किराये तथा इस उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित हस्तांतरित दुकान के अधिकतम किराये से अधिक नहीं होगी तथा रु0 पांच सौ मात्र (प्रति सौ वर्ग फिट) प्रति माह से कम नहीं होगी।

13. पालिका की दुकान का हस्तान्तरण द्वारा कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कब्जा प्राप्त करने के अधिकतम 30 दिन व पालिका द्वारा हस्तान्तरण अनुमति की वैधता की तिथि के अन्दर अपने नाम किरायेदारी हस्तांतरित करने के लिये अधिशासी अधिकारी को आवेदन करेगा। इस आवेदन के साथ हस्तान्तरण अनुमति–पत्र में उल्लेखित प्राधिकार समिति द्वारा निर्धारित धनराशि भी जमा करेगा। हस्तान्तरण अनुमति–पत्र तथा पूर्व किरायेदार द्वारा वास्तविक हस्तान्तरण के आधार पर पालिका द्वारा अभिलेखों में किरायेदारी हस्तान्तरित करके इस आशय का पत्र किरायेदारी की शर्तों व किराये की धनराशि ऐसे किरायेदार के आवेदन पर उसे पुनः किरायेदार बनाये रखने पर नगर पालिका सहमत होती है तो उसे उपविधि के नियम 12 में उल्लेखित मापदण्डों के अनुरूप निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क के बराबर धनराशि शमन शुल्क के रूप में भुगतान करनी होगी तथा इसी के अनुरूप नियम किराये की धनराशि का भी भविष्य में भुगतान करना होगा।

दंड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के अधीन उपरोक्त उपविधि के किसी भी अंश का उल्लंघन होने पर रु0 1000 (रुपया एक हजार) मात्र तक अर्थदंड हो सकेगा।

निरन्तर जारी रहने वाले उल्लंघन के मामले में प्रत्येक दिन के लिये अलग अपराध माना जायेगा और तद्नुसार अर्थदंड हो सकेगा।

शमशुद्दीन,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, काशीपुर,
जिला ऊधमसिंह नगर।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, काशीपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 42 हिन्दी गजट/474–भाग 8–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।